# Distribution Transformer

| Short Title | Clause of EC Act, 2001 | Notification/ Regulation/ Amendment & Date | Reference IS/ IEC Standards |
|---|---|---|---|
| Distribution Transformers | 14(b) | S.O.184(E) dated 12th January, 2009 | IS 1180 (Part I): 2014,<br><br>IS 2026 (Part I, II & III): 1977,<br><br>IS 2500(Part I):2000 |
| | 14(a) | S.O.185(E) dated 12th January, 2009 | |
| | Amendment I | S.O.4062 (E) dated 16th December, 2016 | |
| | Amendment II | S.O.513(E) dated 17th February, 2017 | |
| | 14(d) | No.2/11(5)/03-BEE.3 dated 5th January, 2010 | |

InfoCode

Transformer - notification - 14(a)(b)



## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

**का.आ. 184(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबल पर विशिष्टियों को संप्रदर्शित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है और यह निर्देश देती है कि किसी ऐसे साधित्र या साधित्रों के वर्ग, लेबलों पर ऐसी विशिष्टियां को और ऐसी रीति में जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट हैं, प्रदर्शित करेगी।

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

**S.O. 184(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the distribution transformers for display of particulars on label and direct that any such appliances or class of appliances shall display such particulars on labels in such manner as are specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations,2009 .**

**[F. No. 10/6/2004-EC]**

**DEVENDER SINGH, Jt. Secy.**

## अधिसूचना

**नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009**

**का.आ. 185(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से सितारा लेबल वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए निम्नानुसार ऊर्जा खपत मानक निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :–

1. (1) भारत में निर्मित, वाणिज्यिक रूप से क्रय किया गया विक्रय किया गया प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर :–

(i) अपनी टाइप के परीक्षण मानदंडों की अनुपालन अपेक्षाओं को निम्नानुसार पूरी करेगा :

(क) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार वाइंडिंग प्रतिरोध का मापन;

(ख) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार वोल्टता अनुपात और वोल्टता वेक्टर संबंधों को जांचने की माप;

(ग) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार प्रतिबाधा वोल्टता/शार्टसर्किट प्रतिबाधा तथा लोड हानि का माप;

(घ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार शून्य लोड हानि और करंट की माप;

(ङ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार रोधन प्रतिरोध की माप;

(च) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार इंड्यूज्ड ओवर वोल्टता ;

(छ) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार पृथक स्रोत वोल्टता विदस्टैंड परीक्षण;

(ज) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार लाइटनिंग इंप्लस परीक्षण;

(झ) भारतीय मानक 2026 (भाग 2) : 1977 के अनुसार तापमाप वृद्धि परीक्षण;

(ञ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार शार्टसर्किट परीक्षण;

(ट) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1989 के अनुसार वायु दाब परीक्षण;

(ठ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1989 के अनुसार अनुमेय फ्लक्स डेंसिट्री और ओवर फ्लक्सिंग।

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न लगा होगा या विनिर्माता भारतीय मानक/आईएसओ 9000 या ऊपर के अनुसार प्रमाणित होना चाहिए।

2. **सितारा स्तर योजना** – (1) वितरण ट्रांसफार्मर पर लगाए जाने वाले ऊर्जा लेबल पर एक सितारा के अन्तराल पर अधिकतम पांच तक सितारों को संप्रदर्शित करेंगे। वितरण ट्रांसफार्मरों की रेटिंग या स्तर एक सितारा से पांच सितारा तक उनकी सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि मानकों के आधार पर की जाएगी जो वितरण ट्रांसफार्मरों के पचास प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि है। उच्चतम हानि खंड को सितारा एक के रूप में परिभाषित किया गया है और न्यूनतम हानि खंड को सितारा पांच के रूप में परिभाषित किया गया है।

(2) वितरण ट्रांसफार्मर का अवधारण पचास प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि और सौ प्रतिशत पर कुल हानि द्वारा किया जाएगा जो नीचे दिए गए अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी:

| स्तर | 1 सितारा | | 2 सितारा | | 3 सितारा | | 4 सितारा | | 5 सितारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रांसफार्मर क्षमता (केवीए) | अधिकतम हानि 50% (वाट्स) | अधिकतम हानि 100% (वाट्स) | अधिकतम हानि 50% (वाट्स) | अधिकतम हानि 100% (वाट्स) | अधिकतम हानि 50% (वाट्स) | अधिकतम हानि 100% (वाट्स) | अधिकतम हानि 50% (वाट्स) | अधिकतम हानि 100% (वाट्स) | अधिकतम हानि 50% (वाट्स) | अधिकतम हानि 100% (वाट्स) |
| 16 | 200 | 555 | 165 | 520 | 150 | 480 | 135 | 440 | 120 | 400 |
| 25 | 290 | 785 | 235 | 740 | 210 | 695 | 190 | 635 | 175 | 595 |
| 63 | 490 | 1415 | 430 | 1335 | 380 | 1250 | 340 | 1140 | 300 | 1050 |
| 100 | 700 | 2020 | 610 | 1910 | 520 | 1800 | 475 | 1650 | 435 | 1500 |
| 160 | 1000 | 2800 | 880 | 2550 | 770 | 2200 | 670 | 1950 | 570 | 1700 |
| 200 | 1130 | 3300 | 1010 | 3000 | 890 | 2700 | 780 | 2300 | 670 | 2100 |

3. **परीक्षण और सहयता** :– (1) स्टार लेबल का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए वितरण ट्रांसफार्मर का परीक्षण उस तारीख को सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 1180 (भाग 1) : 1989 के अनुसार परीक्षण संहिता और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(2) तापमान बढ़ने की स्थिति में परिणाम अपवाद है। स्कीम के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाएगा :–

**टाप आयल और ट्रांसफार्मर वाईडिंग का तापमान बढ़ने की सीमा को विद्यमान भारतीय मानक 1180 (भाग 1) : 1989 की 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना।**

**(3) पचास प्रतिशत और सौ प्रतिशत लोडिंग वेल्यू पर दोनों के लिए लेबल पर संप्रदर्शित अधिकतम हानि पर कोई सकारात्मक सहयता की अनुमति नहीं होगी।**

4. **सत्यापन के लिए मानदंड और नमूना लेना** – (1) सत्यापन और चुनौती के लिए सैंपलिंग टेंडर के आधार पर उपयोगिता के लिए परिदान किए जाने के पश्चात् किया जाएगा। सैंपलिंग भारतीय मानक 2500 (भाग 1) : 2000 द्वारा मार्गदर्शित होगी। सैंपलिंग स्कीमें लॉट से लॉट निरीक्षण के लिए स्वीकार्य क्वालिटी सीमा (एक्यूएल) द्वारा सूचकांकित की जाएगी।

(2) परीक्षण के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे–

(क) वाइंडिंग प्रतिरोध का माप (भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977);

(ख) प्रतिबाधा वोल्टता / शार्टसर्किट प्रतिबाधा और लोड हानि का माप (भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977);

(ग) शून्य लोड हानि और करेंट का माप (भारतीय मानक 2026 (भाग 1): 1977);

(घ) तापमान वृद्धि परीक्षण (भारतीय मानक 2026 (भाग 2) : 1977).

5. **परीक्षण रिपोर्ट** :– प्रत्येक यूनिट के परीक्षण परिणाम उपाबंद्ध 'क' में रिपोर्ट किए जाएंगे।

**उपाबंध क**

**परीक्षणों के परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप**

1. वितरण ट्रांसफार्मर का ब्यौरे:

(i) ब्रांड / मेक :

(ii) माडल का नाम :

(iii) प्रकार :

(iv) रेटिड वोल्टता :

(v) रेटिड आवृत्ति :

(vi) रेटिड क्षमता :

(vii) 50 प्रतिशत लोडिंग पर रेटिड कुल हानि :

(viii) 100 प्रतिशत लोडिंग पर रेटिड कुल हानि :

2. **परीक्षण सार**

(i) यथा लागू प्रत्येक परीक्षण टाइप के लिए इस पृष्ठ की पृथक प्रति तैयार करें

(ii) परीक्षण की तारीख

(iii) परीक्षण अधिकारी

(iv) टेस्ट प्रकार : सभी लागू परीक्षण निम्नानुसार :

(क) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार वाइंडिंग प्रतिरोध का माप

| | |
|---|---|
| मापी गई मात्रा | |
| एच.वी. वाइंडिंग प्रतिरोध | |
| एल.वी. वाइंडिंग प्रतिरोध | |

IndiaCode

(ख) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार वोल्टता अनुपात और वोल्टता वेक्टर संबंध का माप।

**वोल्टता अनुपात की माप :**

| यूवी (Uv) | वीडब्ल्यू (Vw) | डब्ल्यूयू (Wu) |
|---|---|---|
| | | |

**वोल्टता वेक्टर संबंध की जांच :**

(ग) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार प्रतिबाधा वोल्टता/शार्टसर्किट प्रतिबाधा और लोड हानि की माप

| | |
|---|---|
| माप की गई मात्रा | |
| 75.सेंटीग्रेड पर प्रतिशत प्रतिबाधा | |
| 75.सेंटीग्रेड पर लोड हानि | |

(घ ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार शून्य लोड हानि और करेंट की माप

| | वोल्टता (V) | आवृत्ति (Hz) | शून्य लोड करेंट (A) | शून्य लोड हानि (W) |
|---|---|---|---|---|
| शार्ट सर्किट के पूर्व | | | | |
| शार्ट सर्किट के बाद | | | | |

**(ङ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार इंस्यूलेशन प्रतिबाधा का माप**

| | |
|---|---|
| इंस्यूलेशन प्रतिरोध | |
| एल.वी. वाइंडिंग के साथ एच.वी. वाइंडिंग और साथ–साथ टैंक का जोड़ा जाना तथा अर्थ किया जाना। | |
| एल.वी. वाइंडिंग के साथ एच.वी. वाइंडिंग और साथ–साथ टैंक का जोड़ा जाना तथा अर्थ किया जाना। | |

(च) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार प्रेरित अति वोल्टता सहयता परीक्षण।

226 GI/09-6

(छ) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार वोल्टता सह्यता परीक्षण

| | |
|---|---|
| 1. पृथक स्रोत शक्ति आवृत्ति वोल्टता सह्यता परीक्षण<br>(क) एल.वी. वाइंडिंग के साथ एच.वी. वाइंडिंग और साथ–साथ टैंक का जोड़ा जाना तथा अर्थ किया जाना। | |
| (ख) एल.वी. वाइंडिंग के साथ एच.वी वाइंडिंग आर साथ–साथ टैंक का जोड़ा जाना तथा अर्थ किया जाना। | |
| 2. साठ सैंकंड के लिए प्रेरित अति वोल्टता सह्यता परीक्षण | |

(ज) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार लाइटनिंग इम्पलस टेस्ट

| इंपल्स कनेक्ट टू | अर्थ कनेक्ट टू | ऋणात्मक पोलेरिटी वोल्टता KV(शिखर) | | | | ओससिलोग्राम सं. चेनल–1 वोल्टता<br>चैनल 2 वोल्टता | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आरएफ डब्ल्यू | 100% प्रतिशत पूर्ण तरंग | | | आरएफ डब्ल्यू | 100% प्रतिशत पूर्ण तरंग | | |
| | | | पहली बार | दूसरी बार | तीसरी बार | | पहली बार | दूसरी बार | तीसरी बार |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

एम्बियंट दशा :

(झ) भारतीय मानक 2026 (भाग 2) : 1977 के अनुसार तापक्रम वृद्धि परीक्षण

* एच.वी. और एल.वी. वाइंडिंग के लिए प्रतिरोध और समय (सेकेन्ड में) के बीच ग्राफ (सप्लाई बंद अवधि)

| | |
|---|---|
| शीर्ष तेल तापमान वृद्धि | |
| एच.वी. कुंडली तापमान वृद्धि | |
| एल.वी. कुंडली तापमान वृद्धि | |

(ञ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार शॉट–सर्किट परीक्षण

* दर्शित किए जाने वाले शाट सर्किट के साथ ट्रांसफार्मर की गतिक क्षमता और अन्य नेमी परीक्षणों पर उसका प्रभाव

(ट) भारतीय मानक 2026 (भाग 2) : 1989 के अनुसार वायुदाब परीक्षण

| अनुज्ञेय वायु दाब | मापित वायु दाब |
|---|---|
| | |

(ठ) भारतीय मानक 1180 (भाग 1) : 1989 के अनुसार अनुज्ञेय फ्लक्स घनत्व और अधि फ्लक्सन

निर्माण आंकड़ों से संगणित फ्लक्स घनत्व

| शून्य लोड वाले करेंट का औसत (रेटिड पूर्ण लोड करेंट क प्रतिशत) | | | |
|---|---|---|---|
| सौ प्रतिशत रेटिड वोल्टता (433 वोल्टता) | | 112.5 प्रतिशत रेटिड वोल्टता पर (487.12 वोल्टता) | |
| स्टेंडर्ड में दी गई अनुज्ञेय वेल्यू | मापित वेल्यू | स्टेंडर्ड में दी गई अनुज्ञेय वेल्यू | मापित वेल्यू |
| | | | |

(ड) 50 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि

| रेटिड वेल्यू ( डब्ल्यू ) | मापित वेल्यू ( डब्ल्यू ) |
|---|---|
| 50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि | 50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि |
| 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि | 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि |

(v) सप्लाई वोल्टता : V

(vi) सप्लाई आवृति : Hz

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 185(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the energy consumption standards for star labelled distribution transformer as under:-

(1) Every distribution transformer being manufactured, commercially purchased or sold in India shall -

(i) meet the compliance requirements of the type test parameters as follows:

a. Measurement of winding resistance as per IS 2026 (part I):1977.

b. Measurement of voltage ratio and check of voltage vector relationship as per IS 2026 (part I):1977.

c. Measurement of impedance voltage/short circuit impedance and load loss as per IS 2026 (part I):1977.

d. Measurement of no-load loss and current as per IS 2026 (part I):1977.

e. Measurement of insulation resistance as per IS 2026 (part I):1977.

f. Induced over-voltage withstand test as per IS 2026 (part 3):1981.

g. Separate-source voltage withstand test as per IS 2026 (part 3):1981.

h. Lightning impulse test as per IS 2026 (part 3):1981.

i. Temperature-rise test as per IS 2026 (part 2):1977.

j. Short-circuit test as per IS 2026 (part I):1977.

k. Air pressure test as per IS 1180 (part 1): 1989.

l. Permissible flux density and over fluxing as per IS 1180 (part 1): 1989

(ii) either carry BIS certification mark or the manufacturer should be certified against IS/ISO 9000 or above.

2. Star rating or star level plan.- (1) The energy label to be affixed to distribution transformer shall display a maximum of five stars with an interval of one star. The distribution transformers shall be rated from star one to star five based on their relative energy efficiencies or loss standards which is the total losses at 50% and 100% loading of the distribution transformer. The highest loss segment is defined as star one and lowest loss segment is defined as star five.

(2)The star level of the distribution transformer shall be determined by the total losses at 50% and 100% loading which shall not exceed the maximum values given below:

| Rating | 1 star | | 2 star | | 3 star | | 4 star | | 5 star | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformer Capacity (kVA) | Max Losses at 50% (Watts) | Max Losses at 100% (Watts) | Max Losses at 50% (Watts) | Max Losses at 100% (Watts) | Max Losses at 50% (Watts) | Max Losses at 100% (Watts) | Max Losses at 50% (Watts) | Max Losses at 100% (Watts) | Max Losses at 50% (Watts) | Max Losses at 100% (Watts) |
| **16** | 200 | 555 | 165 | 520 | 150 | 480 | 135 | 440 | 120 | 400 |
| **25** | 290 | 785 | 235 | 740 | 210 | 695 | 190 | 635 | 175 | 595 |
| **63** | 490 | 1415 | 430 | 1335 | 380 | 1250 | 340 | 1140 | 300 | 1050 |
| **100** | 700 | 2020 | 610 | 1910 | 520 | 1800 | 475 | 1650 | 435 | 1500 |
| **160** | 1000 | 2800 | 880 | 2550 | 770 | 2200 | 670 | 1950 | 570 | 1700 |
| **200** | 1130 | 3300 | 1010 | 3000 | 890 | 2700 | 780 | 2300 | 670 | 2100 |

3. Testing and tolerance.- (1) For the purpose of determining the star level, the distribution transformer shall be tested as per testing code and procedure as per IS 1180 (part 1): 1989 with all amendments as of date.

(2) The exception is, conditions on limits of temperature rise. For the scheme the following would be used:-

Reduce the temperature rise limits of top oil and transformer winding from the existing IS 1180 (part 1): 1989 level of $45^0$ C and $55^0$ C to $35^0$ C & $40^0$ C.

**(3) No positive tolerance shall be allowed on the maximum losses displayed on the label for both 50% & 100% loading values**

**4. Parameters and sampling for verification.- (1) Sampling for verification and challenge would be carried out after the deliveries are made to the utility on the basis of tender. Sampling would be guided by IS 2500 (part-I) -2000: Sampling Schemes indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for lot-by-lot inspection.**

**(2) The parameters for testing shall be as follows:-**

**(a) measurement of winding resistance [IS 2026(part1):1977];**
**(b) measurement of impedance voltage/short circuit impedance and load loss [IS2026 (part 1):11977 ];**
**(c) measurement of no-load loss and current [IS 2026(part 1):1977];**
**(d) temperature-rise test[IS 2026(part 2):1977].**

5. **Test report.- The results of tests of each unit shall be reported in Annexure A.**

## Annexure A
## Form for reporting the results of tests

**1. Details of distribution transformer**

(i) Brand/Make:
(ii) Model name:
(iii) Type:
(iv) Rated voltage:
(v) Rated frequency:
(vi) Rated capacity:
(vii) Rated Total Losses at 50% loading:
(viii) Rated Total losses at 100% loading:

**2. Test summary**

(i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable
(ii) Date of test:
(iii) Test officer:
(iv) Test type: all applicable tests as follows:

**(a) Measurement of winding resistance as per IS 2026 (part I):1977.**

| Quantity Measured | |
|---|---|
| H.V. winding resistance | |
| L.V. winding resistance | |

**(b) Measurement of voltage ratio and check of voltage vector relationship as per IS 2026 (part I):1977.**

Measurement of Voltage Ratio:

| Before Short Circuit Test | | |
|---|---|---|
| Uv | Vw | wu |
| | | |

Check Voltage Vector Relationship:

**(c) Measurement of Impedance voltage/short circuit impedance and load loss as per IS 2026 (part I):1977.**

| Quantity Measured | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| %Impedance at 75°C | |
| Load Loss at 75 °C | |

**(d) Measurement of no-load loss and current as per IS 2026 (part I):1977.**

| | Voltage(V) | Frequency(Hz) | No-Load Current(A) | No-Load loss (W) |
|---|---|---|---|---|
| Before Short Circuit | | | | |
| After Short Circuit. | | | | |

**(e) Measurement of insulation resistance as per IS 2026 (part I):1977.**

| | |
|---|---|
| Insulation Resistance of | |
| H.V. winding with L.V windings & tank connected together and earthed | |
| L.V. winding with H.V. winding & tank connected together and earthed. | |

**(f) Induced over-voltage withstand test as per IS 2026 (part 3):1981.**

**(g) Separate-source voltage withstand test as per IS 2026 (part 3):1981.**

| | |
|---|---|
| 1.Separate Source power frequency voltage withstand test on:<br>a) H.V.winding with L.V. windings & tank connected together and earthed. | |

IndiaCode

| | |
|---|---|
| b) L.V. winding with H.V.winding & tank connected together and earthed. | |
| 2.Induced over-voltage withstand test for 60 seconds | |

(h) **Lightning impulse test as per IS 2026 (part 3):1981.**

| Impulse Connected to | Earth Connected to | Negative Polarity Test Voltage kV(Peak) | | | | Oscillogram No. Channel-1 Voltage Channel-2 Current | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RFW | 100%Full wave | | | RFW | 100% Full wave | | |
| | | | 1st Shot | 2nd Shot | 3rd Shot | | 1st Shot | 2nd Shot | 3rd Shot |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

The ambient conditions:

**(i) Temperature-rise test as per IS 2026 (part 2):1977.**

***the graph of resistance vs time in seconds(time of shut down) for H.V and L.V. winding**

| | |
|---|---|
| **Top oil temperature rise** | |
| **H.V. winding temperature rise** | |
| **L.V. winding temperature rise** | |

**(j) Short-circuit test as per IS 2026 (part I):1977.**

***The Dynamic ability of the transformer to withstand the short circuit to be shown and its effect on the other routine tests.**

**(k) Air pressure test as per IS 1180 (part 1): 1989.**

| Permissible Air pressure | Measured Air pressure |
|---|---|
| | |

**(i) Permissible flux density and over fluxing as per IS 1180 (part 1): 1989**

The Flux density calculated from manufacturers data.

| Average no load Current (percentage of rated full load current) | | | |
|---|---|---|---|
| At 100 percent rated voltage(433V) | | At 112.5 percent rated voltage(487.12V) | |
| Permissible value given in the standard | Measured value | Permissible value given in the standard | Measured value |
| | | | |

**(j) The total losses at 50 % and 100% loading**

| Rated Values(W) | Measured Values(W) |
|---|---|
| Total losses at 50% loading- | Total losses at 50% loading- |
| Total losses at 100% loading- | Total losses at 100% loading- |

(v) Supply voltage: V
(vi) Supply frequency: Hz

[F. No. 10/6/2004-EC]
DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2968] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2016/अग्रहायण 25, 1938
No. 2968] NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 16, 2016/AGRAHAYANA 25, 1938

IndiaCode

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4062(अ).—** केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 185(अ.) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में,-

(अ) पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) भारत में विनिर्मित, वाणिज्यिक रूप से क्रय या विक्रीत किया गया प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर –

(क) अपने टाईप परीक्षण मानदंडों की अनुपालन अपेक्षाओं को नियमानुसार पूरी करेगा, अर्थात:-

(i) भारतीय मानक 2026(भाग 1): 1977 के अनुसार वाइंडिंग प्रतिरोध का मापन;

(ii) भारतीय मानक 2026(भाग 1): 1977 के अनुसार प्रतिबाधा वोल्टता/शार्टसर्किट प्रतिबाधा तथा लोड हानि का माप;

(iii) भारतीय मानक 2026(भाग 1): 1977 के अनुसार शून्य लोड हानि और करंट की माप;

(iv) भारतीय मानक 2026(भाग 2): 1977 के अनुसार तापमान वृद्धि परीक्षण;

(v) भारतीय मानक 2026(भाग 1): 1977 के अनुसार शार्टसर्किट परीक्षण;

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न लगा होगा "

(आ) पैरा 2 के उप पैरा (2) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात्:-

**"सारणी 1 (31 दिसंबर 2016 तक विधिमान्य)**

| स्तर | 1 सितारा | | 2 सितारा | | 3 सितारा | | 4 सितारा | | 5 सितारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रांसफार्मर क्षमता (केवीए) | अधिकतम हानियां 50% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 100% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 50% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 100% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 50% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 100% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 50% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 100% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 50% (वॉट्स) | अधिकतम हानियां 100% (वॉट्स) |
| 16 | 200 | 555 | 165 | 520 | 150 | 480 | 135 | 440 | 120 | 400 |
| 25 | 290 | 785 | 235 | 740 | 210 | 695 | 190 | 635 | 175 | 595 |
| 63 | 490 | 1415 | 430 | 1335 | 380 | 1250 | 340 | 1140 | 300 | 1050 |
| 100 | 700 | 2020 | 610 | 1910 | 520 | 1800 | 475 | 1650 | 435 | 1500 |
| 160 | 1000 | 2800 | 880 | 2550 | 770 | 2200 | 670 | 1950 | 570 | 1700 |
| 200 | 1130 | 3300 | 1010 | 3000 | 890 | 2700 | 780 | 2300 | 670 | 2100 |

**सारणी 2 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)**

| 11 केवी वर्ग तक वॉट में प्रस्तावित मानक हानि | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटिंग (केवीए) | सितारा 1 | | सितारा 2 | | सितारा 3 | | सितारा 4 | | सितारा 5 | |
| | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड |
| 16 | 135 | 440 | 120 | 400 | 108 | 364 | 97 | 331 | 87 | 301 |
| 25 | 190 | 635 | 175 | 595 | 158 | 541 | 142 | 493 | 128 | 448 |
| 63 | 340 | 1140 | 300 | 1050 | 270 | 956 | 243 | 870 | 219 | 791 |
| 100 | 475 | 1650 | 435 | 1500 | 392 | 1365 | 352 | 1242 | 317 | 1130 |
| 160 | 670 | 1950 | 570 | 1700 | 513 | 1547 | 462 | 1408 | 416 | 1281 |
| 200 | 780 | 2300 | 670 | 2100 | 603 | 1911 | 543 | 1739 | 488 | 1582 |

**सारणी 3 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)**

| 11 केवी वर्ग तक के वॉट में प्रस्तावित मानक हानि (200 केवीए से ऊपर स्तर के लिए) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्तर (केवीए) | प्रतिशत प्रति बाधा | सितारा 1 | | सितारा 2 | | सितारा 3 | | सितारा 4 | | सितारा 5 | |
| | | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड | 50 प्रतिशत लोड | 100 प्रतिशत लोड |
| 250 | 4.5 | 980 | 2930 | 920 | 2700 | 864 | 2488 | 811 | 2293 | 761 | 2113 |
| 315 | 4.5 | 1025 | 3100 | 955 | 2750 | 890 | 2440 | 829 | 2164 | 772 | 1920 |
| 400 | 4.5 | 1225 | 3450 | 1150 | 3330 | 1080 | 3214 | 1013 | 3102 | 951 | 2994 |
| 500 | 4.5 | 1510 | 4300 | 1430 | 4100 | 1354 | 3909 | 1282 | 3727 | 1215 | 3554 |
| 630 | 4.5 | 1860 | 5300 | 1745 | 4850 | 1637 | 4438 | 1536 | 4061 | 1441 | 3717 |
| 1000 | 5 | 2790 | 7700 | 2620 | 7000 | 2460 | 6364 | 2310 | 5785 | 2170 | 5259 |
| 1250 | 5 | 3300 | 9200 | 3220 | 8400 | 3142 | 7670 | 3066 | 7003 | 2991 | 6394 |
| 1600 | 6.25 | 4200 | 11800 | 3970 | 11300 | 3753 | 10821 | 3547 | 10363 | 3353 | 9924 |

IndiaCode

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6.25 | 5050 | 15000 | 4790 | 14100 | 4543 | 13254 | 4309 | 12459 | 4088 | 11711 |
| 2500 | 6.25 | 6150 | 18500 | 5900 | 17500 | 5660 | 16554 | 5430 | 15659 | 5209 | 14813"; |

(इ) पैरा 3 में,-

(i) उप पैरा (1) में, ''भारतीय मानक 1180 (भाग 1): 1989'' अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों, और शब्दों के स्थान पर, ''भारतीय मानक 1180 (भाग 1): 2014'' अक्षर, अंक, कोष्ठक, और शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) उप पैरा (2) में, ''भारतीय मानक 1180 (भाग 1): 1989'' अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों, और शब्दों के स्थान पर, ''भारतीय मानक 1180 (भाग 1): 2014'' अक्षर, अंक, कोष्ठक, और शब्द रखे जाएंगे;

(ई) पैरा 4 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाए, अर्थात् :-

"(1) सत्यापन और चुनौती के लिए नमूना लेने का कार्य उपयोगिताओं को परिदान करने के पश्चात् किया जाएगा, जो ब्यूरो को तत्काल प्रत्यावर्तनीय आधार पर यादृच्छिक चयन आधार पर जांच परीक्षण के लिए ट्रांसफार्मर प्रदान करेगा".

(उ) उपाबंध क (पैरा 5 में निर्दिष्ट) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

**"उपाबंध क"**

**परीक्षणों के परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप**

1. वितरण ट्रांसफार्मर के ब्यौरे
   (i) ब्रांड / मेक :
   (ii) मॉडल का नाम:
   (iii) किस्म:
   (iv) रेट की गई बोल्टता:
   (v) रेट की गई आवृत्ति:
   (vi) रेट की गई क्षमता:
   (vii) 50 प्रतिशत लोडिंग पर रेट की गई कुल हानि :
   (viii) 100 प्रतिशत लोडिंग पर रेट की गई कुल हानि :
2. परीक्षण सार
   (i) यथा लागू प्रत्येक परीक्षण टाइप के लिए इस पृष्ठ की पृथक प्रति तैयार करें
   (ii) परीक्षण की तारीख :
   (iii) परीक्षण अधिकारी :
   (iv) परीक्षण प्रकार : सभी लागू परीक्षण निम्नानुसार हैं :

**(क) वाइंडिंग प्रतिरोधकता का माप आईएस 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार :**

| | |
|---|---|
| मापी गई मात्रा | |
| एच. वी. वाइंडिंग प्रतिरोधकता | |
| एल. वी. वाइंडिंग प्रतिरोधकता | |

IndiaCode

**(ख) प्रतिबाधा वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा और लोड की हानि के माप आईएस 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार;**

| | |
|---|---|
| मापी गई मात्रा | |
| 75 डिग्री से. पर प्रतिबाधा का प्रतिशत | |
| 75 डिग्री से. पर लोड की हानि | |

**(ग) लोड नहीं होने पर हानि और विद्युत धारा का माप आईएस 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार:**

| | वोल्टेज (V) | आवृत्ति (Hz) | लोड के बिना करेंट (A) | लोड के बिना हानि (W) |
|---|---|---|---|---|
| शॉर्ट सर्किट से पहले | | | | |
| शॉर्ट सर्किट के बाद | | | | |

**(घ) तापमान बढ़ने का परीक्षण आईएस 2026 (भाग 2) : 1977 के अनुसार:**

* एच. वी. और एल. वी. वाइंडिंग के लिए प्रतिरोधकता बनाम सेकेण्ड में समय का ग्राफ (शट डाउन का समय)

| | |
|---|---|
| ऊपरी तेल के तापमान में वृद्धि | |
| एच. वी. वाइंडिंग तापमान में वृद्धि | |
| एल. वी. वाइंडिंग तापमान में वृद्धि | |

IndiaCode

**(ड.) शॉर्ट सर्किट परीक्षण का माप आईएस 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार:**

* शॉर्ट सर्किट को सहन करने की ट्रांसफार्मर में गतिशील क्षमता और अन्य नियमित परीक्षणों पर इसके प्रभाव दर्शाए जाएं।

**50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां**

| **रेट किया गया/घोषित मान (डब्ल्यू)** | **मापे गए मान (डब्ल्यू** |
|---|---|
| 50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां | 50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां |
| 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां | 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां |

(v) आपूर्ति वोल्टेज : V

(vi) आपूर्ति आवृत्ति : HZ.".

[फा. सं. 13/28/2015-ईसी]

राजपाल, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 185(अ) तारीख 12 जनवरी 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF POWER
# NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2016

**S.O. 4062(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.185 (E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification,-

(A) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) Every distribution transformer being manufactured, commercially purchased or sold in India shall –

(a) meet the compliance requirements of the type test parameters, namely:-

(i) measurement of winding resistance as per IS 2026 (part I):1977;

(ii) measurement of impedance voltage or short circuit impedance and load loss as per IS 2026 (part I):1977;

(iii) measurement of no-load loss and current as per IS 2026 (part I):1977;

(iv) temperature-rise test as per IS 2026 (part 2):1977;

(v) short-circuit test as per IS 2026 (part I):1977;

(b) carry Bureau of Indian Standards certification mark.";

(B) in paragraph 2, in sub-paragraph (2), for the existing Table, the following Tables shall be substituted, namely:-

**"Table 1 (Valid up to 31st December, 2016)**

| Rating | 1 Star | | 2 Star | | 3 Star | | 4 Star | | 5 Star | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformer Capacity (kVA) | Max Losses at 50 Per cent. (Watts) | Max Losses at 100 Per cent. (Watts) | Max Losses at 50 Per cent. (Watts) | Max Losses at 100 Per cent. (Watts) | Max Losses at 50 Per cent. (Watts) | Max Losses at 100 Per cent. (Watts) | Max Losses at 50 Per cent. (Watts) | Max Losses at 100 Per cent. (Watts) | Max Losses at 50 Per cent. (Watts) | Max Losses at 100 Per cent. (Watts) |
| 16 | 200 | 555 | 165 | 520 | 150 | 480 | 135 | 440 | 120 | 400 |
| 25 | 290 | 785 | 235 | 740 | 210 | 695 | 190 | 635 | 175 | 595 |
| 63 | 490 | 1415 | 430 | 1335 | 380 | 1250 | 340 | 1140 | 300 | 1050 |
| 100 | 700 | 2020 | 610 | 1910 | 520 | 1800 | 475 | 1650 | 435 | 1500 |
| 160 | 1000 | 2800 | 880 | 2550 | 770 | 2200 | 670 | 1950 | 570 | 1700 |
| 200 | 1130 | 3300 | 1010 | 3000 | 890 | 2700 | 780 | 2300 | 670 | 2100 |

**Table 2 (Effective from 1st January, 2017 onwards)**

| Standard Losses in watts up to 11 KV Class | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating (kVA) | Star 1 | | Star 2 | | Star 3 | | Star 4 | | Star 5 | |
| | 50 Per cent. Load | 100 Per cent. Load | 50 Per cent. Load | 100 Per cent. Load | 50 Per cent. Load | 100 Per cent. Load | 50 Per cent. Load | 100 Per cent. Load | 50 Per cent. Load | 100 Per cent. Load |
| 16 | 135 | 440 | 120 | 400 | 108 | 364 | 97 | 331 | 87 | 301 |
| 25 | 190 | 635 | 175 | 595 | 158 | 541 | 142 | 493 | 128 | 448 |
| 63 | 340 | 1140 | 300 | 1050 | 270 | 956 | 243 | 870 | 219 | 791 |
| 100 | 475 | 1650 | 435 | 1500 | 392 | 1365 | 352 | 1242 | 317 | 1130 |
| 160 | 670 | 1950 | 570 | 1700 | 513 | 1547 | 462 | 1408 | 416 | 1281 |
| 200 | 780 | 2300 | 670 | 2100 | 603 | 1911 | 543 | 1739 | 488 | 1582 |

IndiaCode

**Table 3 (Effective from 1st January, 2017 onwards)**

| Standard losses in watts up to 11 KV Class (For ratings above 200 kVA) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating (kVA) | Per Cent. Impedance | Star 1 | | Star 2 | | Star 3 | | Star 4 | | Star 5 | |
| | | 50 Per Cent. Load | 100 Per Cent. Load | 50 Per Cent. Load | 100 Per Cent. Load | 50 Per Cent. Load | 100 Per Cent. Load | 50 Per Cent. Load | 100 Per Cent. Load | 50 Per Cent. Load | 100 Per Cent. Load |
| 250 | 4.5 | 980 | 2930 | 920 | 2700 | 864 | 2488 | 811 | 2293 | 761 | 2113 |
| 315 | 4.5 | 1025 | 3100 | 955 | 2750 | 890 | 2440 | 829 | 2164 | 772 | 1920 |
| 400 | 4.5 | 1225 | 3450 | 1150 | 3330 | 1080 | 3214 | 1013 | 3102 | 951 | 2994 |
| 500 | 4.5 | 1510 | 4300 | 1430 | 4100 | 1354 | 3909 | 1282 | 3727 | 1215 | 3554 |
| 630 | 4.5 | 1860 | 5300 | 1745 | 4850 | 1637 | 4438 | 1536 | 4061 | 1441 | 3717 |
| 1000 | 5 | 2790 | 7700 | 2620 | 7000 | 2460 | 6364 | 2310 | 5785 | 2170 | 5259 |
| 1250 | 5 | 3300 | 9200 | 3220 | 8400 | 3142 | 7670 | 3066 | 7003 | 2991 | 6394 |
| 1600 | 6.25 | 4200 | 11800 | 3970 | 11300 | 3753 | 10821 | 3547 | 10363 | 3353 | 9924 |
| 2000 | 6.25 | 5050 | 15000 | 4790 | 14100 | 4543 | 13254 | 4309 | 12459 | 4088 | 11711 |
| 2500 | 6.25 | 6150 | 18500 | 5900 | 17500 | 5660 | 16554 | 5430 | 15659 | 5209 | 14813**";** |

(C) in paragraph 3,-

(i) in sub-paragraph (1), for the letters, figures, brackets and word "IS 1180 (Part 1):1989", the letters, figures, brackets and word "IS 1180 (Part 1):2014" shall be substituted; and

(ii) in sub-paragraph (2), for the letters, figures, brackets and word "IS 1180 (Part 1):1989", the letters, figures, brackets and word "IS 1180 (Part 1):2014" shall be substituted;

(D) in paragraph 4, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) Sampling for verification and challenge shall be carried out after the deliveries are made to the utilities, who shall forthwith provide the transformer on random selection basis to the Bureau for check testing on returnable basis.".

(E) for Annexure A (referred to in paragraph 5), the following shall be substituted, namely:-

**"Annexure A**
**Form for reporting the results of tests**

3. Details of distribution transformer

(i) Brand/Make:

(ii) Model name:

(iii) Type:

(iv) Rated voltage:

(v) Rated frequency:

(vi) Rated capacity:

(vii) Rated Total Losses at 50 per cent. loading:

(viii) Rated Total Losses at 100 per cent. loading:

4. Test summary

(i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable

(ii) Date of test:

(iii) Test officer:

(iv) Test type: all applicable tests as follows :

**(a) Measurement of winding resistance as per IS 2026 (part I):1977.**

| | |
|---|---|
| Quantity Measured | |
| H.V. winding resistance | |
| L.V. winding resistance | |

**(b) Measurement of impedance voltage or short circuit impedance and load loss as per IS 2026 (part I):1977.**

| | |
|---|---|
| Quantity Measured | |
| percentage of Impedance at 75°C | |
| Load Loss at 75°C | |

**(c) Measurement of no-load loss and current as per IS 2026 (part I):1977.**

| | Voltage(V) | Frequency(Hz) | No-Load Current(A) | No-Load Loss(W) |
|---|---|---|---|---|
| Before Short Circuit | | | | |
| After Short Circuit | | | | |

**(d) Temperature-rise test as per IS 2026 (part 2):1977.**

*The graph of resistance vs time in seconds (time of shut down) for H.V. and L.V. winding.

| | |
|---|---|
| Top oil temperature rise | |
| H.V. winding temperature rise | |
| L.V. winding temperature rise | |

IndiaCode

**(e) Short-circuit test as per IS 2026 (part I):1977.**

* The Dynamic ability of the transformer to withstand the short circuit to be shown and its effect on the other routine tests.

**The total losses at 50 per cent. and 100 per cent. Loading**

| **Rated/Declared Values (W)** | **Measured Values (W)** |
|---|---|
| Total losses at 50 Per cent. loading | Total losses at 50 Per cent. loading |
| Total losses at 100 Per cent. loading | Total losses at 100 Per cent. loading |

(v) Supply voltage: V

(vi) Supply frequency : Hz.".

[F.No.13/28/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification number S.O. 185(E), dated the 12th January, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/ माघ 28, 1938
No. 461] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

IndiaCode

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

**का.आ. 513(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 185 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में -

(क) पैरा 1 के, उप पैरा (क) में, मद सं.◦ (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(v) आईएस 2026 (भाग -I) के अनुसार शॉर्ट सर्किट परीक्षण, जहां कहीं लागू हो, आईएस 1180 में यथा विनिर्दिष्ट सभी संशोधनों के साथ";

(ख) पैरा 2 के, उप पैरा (2) में, शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों 'सारणी 1 (31 दिसम्बर 2016 तक विधिमान्य)', 'सारणी 2 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)' और 'सारणी 3 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)' के स्थान पर 'सारणी 1 (30 जून 2017 तक विधिमान्य)', 'सारणी 2 (1 जुलाई 2017 से प्रभावी)' और 'सारणी 3 (1 जुलाई 2017 से प्रभावी)' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) पैरा 3 के, उप पैरा (2) का लोप किया जाएगा

[फा. सं. 13/28/2015–ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पणी:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 185(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सख्या का.आ. 4062(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

**MINISTRY OF POWER**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2017.

**S.O. 513(E).—**In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.185(E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification,-

(A) in paragraph 1, in sub-paragraph (a), for item (v), the following shall be substituted:-

"(v) short-circuit test as per IS 2026 (part I), wherever applicable, as specified in IS 1180 (part I), with all amendments";

(B) in paragraph 2, in sub-paragraph (2), for the words, figures, brackets and letters "Table 1 (Valid up to 31st December, 2016)", "Table 2 (Effective from 1st January, 2017 onwards)" and "Table 3 (Effective from 1st January, 2017 onwards)", the words, figures, brackets and letters "Table 1 (Valid up to 30th June, 2017)" , "Table 2 (Effective from 1st July, 2017 onwards)" and "Table 3 (Effective from 1st July, 2017 onwards)" shall respectively be substituted;

(C) in paragraph 3, sub-paragraph (2) shall be omitted.

[F. No.13/28/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification number S.O.185(E), dated the 12th January, 2009, and last amended *vide* notification number S.O. 4062(E), dated the 16th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.21 23:11:58 +05'30'

Transformer - Regulation (1) - 146(1)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2010/पौष 15, 1931
No. 6] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2010/PAUSA 15, 1931

## ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

**सं. 2/11(5)/03-बीईई-3.**—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2009 का प्रारूप, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 9 नवम्बर, 2009 में सं. 2/11(5)/03-बीईई-3, तारीख 5 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र प्रतियां पूर्वोक्त राजपत्र में 9 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) 'प्ररूप' से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं,";

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) 'अनुज्ञा-पत्र धारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको विनियम 7 के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई है;";

3. मूल विनियम में विनियम 5, के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. लेबल के संप्रदर्श के लिए अनुज्ञा--(1) ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कोई लेबल वितरण ट्रांसफार्मरों पर नहीं लगाया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप । या इलेक्ट्रानिक रुप में किया जाएगा ।

परंतु वितरण ट्रांसफार्मरों के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किसी इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की आवेदन फीस ;

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस या संदाय किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से ; और

(ग) उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ ।

7. अनुज्ञा की मंजूरी-(1) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है । ब्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररुप 2 या इलेक्ट्रानिक प्ररुप में वितरण ट्रांसफार्मरों पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा ।

(2) ब्यूरो प्ररुप 3 में रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम रजिस्टर करेगा ।

(3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा, तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और जिसे तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

(4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और उसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय पांच सौ रुपए की फीस लगी होगी ।

(5) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान हो जाने पर कि इसमें साथ सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर प्ररुप 2 में अनुज्ञा की नवीकरण कर सकेगा ।

8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें--प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर अधिनयम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा ।

(ख) लेबल केवल ऐसे वितरण ट्रांसफार्मरों के मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर, लेबल को मुद्रित करेगा और वितरण ट्रांसफार्मरों पर चिपकाएगा ;

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर हर समय अनुरक्षित रखा जाता है ;

(ङ) आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक विवरण और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भूत लेबल की फीस प्रस्तुत करेगा ।

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी ऐसे अन्य निबंधन और शर्तों का पालन करेगा जिसे ब्यूरो विनिर्दिष्ट करे ।

9. लेबल फीस-(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी ब्यूरो को वितरण ट्रांसफार्मरों इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर एक सौ रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी ;

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस उस पर दस प्रतिशत ब्याज सहित संदत्त शोध्य रकम वसूल कर सकेगा ।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय--विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अध्यधीन, वितरण ट्रांसफार्मरों का विनिर्माण ना होने पर अनुज्ञा-पत्र धारी लेबल प्रतिभूति के संदाय का हकदार होगा ।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन--(1) ब्यूरा, स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि वितरण ट्रांसफार्मरों सितारा स्तर और लेबल पर प्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता है ।

(2) जहां उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त की गई शिकायत का ब्यूरो द्वारा सत्यापित किसी प्रयोगशाला में वितरण ट्रांसफार्मरों का परीक्षण अपेक्षित है वहां ऐसे परीक्षण करने के लिए समनुदेशिती को सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय से संबंधित, जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किए जाएं ऐसे व्यय जमा करने के लिए कहा जाएगा ।

(3) जहां परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मरों के नमूने परीक्षण में असफल हो जाते हैं, वहां ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर वितरण ट्रांसफार्मरों के प्रथम परीक्षण नमूनों की दुगनी मात्रा सहित दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा ।

(4) जहां दूसरा परीक्षण भी असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो यह निदेश देगा कि अनुज्ञा-पत्र धारी दो मास की अवधि के भीतर,--

(क) वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर को शुद्ध करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा ;

(ख) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा ; और

(ग) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा ।

(5) जहां अनुज्ञा-पत्र धारी उपविनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो,--

(क) अनुज्ञा वापस ले लेगा ;

(ख) उपभोक्तओं को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो वह उपयुक्त समझे ;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन ऐसे अनुज्ञा-पत्र धारी के विरुद्ध न्यायनिर्णायक कार्रवाइयां आरंभ करेगा ।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण--ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापस ले सकेगा यदि अनुज्ञा-पत्र धारी,--

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्ही निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है ।

अजय माथुर, महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/185/2009-असा.]

प्ररुप 1

[विनियम 6 देखिए]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन वितरण ट्रांसफार्मरों पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन
सेक्टर-1, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066
भारत

मैं/हम जो वितरण ट्रांसफार्मरों के विनिर्माणकर्ता हूं/हैं.....में (कारोबार का पूरा नाम).....अभिनाम से (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) कारोबार चला रहा हूं/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन उपाबंध में परिभाषित वितरण ट्रांसफार्मरों के संबंध में ब्यूरो द्वारा विहित लेबल के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।

2. निर्माणकारी सुविधा : उपर्युक्त उपस्कर का.....(कंपनी का नाम) द्वारा और.....

.....(कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया जाता है ।

3. जानकारी का ब्यौरा : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परिक्षण के लिए प्रमाण पत्र उत्पाद लेबल से संबंधित जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं । फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार/उद्योग निदेशक (लघु उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न की जाती है ।

IndiaCode

क) आवेदक : .....को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म/आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा ।

ख) संपर्क व्यक्ति : .....को (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है ।

ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है, ब्यूरो को संसूचित करने का वचन देता हूं/देते हैं ।

4. क्वालिटी मानकों से अनुरुपता : मैं/हम.....(उपस्कर का नाम) के लिए.....को (अधिसूचना का नाम) अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट भा.मा./अन्य (मानक का नाम और संख्या).....के अनुसार क्वालिटी प्रणाली/अन्य मानकों (मानक का नाम ओर संख्यां) के संबंध में भारतीय मानक/अन्य अंतराष्ट्रीय मानक ब्यूरो की पुष्टि करता हूं/हैं । उपर्युक्त उपस्कर के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाती है ।

मेरे /हमारे पास उपस्कर की क्वालिटी में सघनता सुनिश्चित करने के लिए .....स्थित प्रयोगशाला के ब्यौर :

क) परीक्षण ब्यौरे : (परीक्षण प्रक्रियाएं/नाम/संख्या)

ख) प्रत्ययन प्रास्थिति :

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. उक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार तथा प्राक्कलन निम्न प्रकार से हैं :

| वर्ष | उत्पादन | विक्रय | उपस्कर का अधिकतम फुटकर मूल्य (रुपए) |
|---|---|---|---|
| पिछले वर्ष..... से.....तक<br>चालू वर्ष..... से.....तक<br>(प्राक्कलन) | | | |

6.(क) डीडी सं0.....तारीख...../इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा एक हजार रुपए..... की आवेदन फीस संदत्त की गई हैं ।

(ख) डीडी सं0.....तारीख...../इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा एक सौ रुपए..... की लेबल प्रतिभूति फीस संदत्त की गई है ।

(ग) मैं/हम प्रति लेबल एक हजार रुपए लेबल फीस का संदाय करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

7.मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता हूं/करते हैं ओर ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी जांच के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

8. मैं/हम सत्यापन तथा चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

9. मैं/हम वचनबंध करता हूं/करते हैं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में आवेदन में दी गई जानकारी सही है और अगर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन अस्वीकृत किया जाए ।

तारीख.....हस्ताक्षर.....(वर्ष)

नाम.....

पदनाम.....

.....

(फर्म का नाम)

.....

के लिए और उसकी ओर से

फर्म की मुद्रा

.....

IndiaCode

उपाबंध

(प्ररूप 1 का पैरा 3 देखिए)

जानकारी के ब्यौरे

**1. उपस्कर के ब्यौरे**

| | |
|---|---|
| 1 | उपस्कर/प्रकार |
| 2 | मेक/विनिर्माता/आयातकर्ता |
| 3 | मॉडल नाम/संख्या |
| 4 | ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए |
| 5 | वोल्टेज |
| 6 | विनिर्माण/आयात का वर्ष |
| 7 | भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणपत्र का ब्यौरा<br>(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें) |
| 8 | क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के ब्यौरा<br>(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें) |
| 9 | 50 % भारण पर कुल हानियां.....वाट |
| 10 | 100 % भारण पर कुल हानियां.....वाट |

| क्रम सं0 | मॉडल का नाम और संख्या | मापा गया मूल्य | | | | रेटेड मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भार हानि रहित (वाट) | भार हानि (वाट) | कुल हानियां | | कुल हानियां | | सितारा रेटिंग |
| | | | | 50 % भारण | 100 % भारण | 50 % भारण | 100 % भारण | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**2. कंपनी के ब्यौरे**

| | |
|---|---|
| कंपनी का नाम | |
| पता | |
| पिनकोड | |
| राज्य | |
| फोन नं0 | |
| फैक्स नं0 | |
| ई-मेल | |
| वेब साइट | |

IndiaCode

**3.विनिर्माण सुविधा के ब्यौरे**

| | |
|---|---|
| पता | |
| पिनकोड | |
| राज्य | |
| फोन नं0 | |
| फैक्स नं0 | |
| ई-मेल | |
| वेब साइट | |
| कोई अन्य ब्यौरे | |

**4. परीक्षण के ब्यौरों के लिए प्रमाणन**

| | |
|---|---|
| परीक्षण मानक का नाम, संख्या और वर्ष | |
| परीक्षण प्रयोगशाला का नाम | |
| प्रत्यायन प्रस्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) | |
| पता | |
| पिन कोड | |
| राज्य | |
| फोन नं0 | |
| फैक्स नं0 | |
| ई-मेल | |
| वेब साइट | |
| | |

**5. उत्पाद के ब्यौरे**

| | |
|---|---|
| प्रारंभ की तारीख | |
| बीईई के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या<br>प्रथम वर्ष के लिए- | |
| दूसरे वर्ष के लिए-<br>तीसरे वर्ष के लिए | |
| उत्पाद क्रम सं0 | .....से.....तक |
| परीक्षण रिपोर्ट | |
| नमूना रिपोर्ट | |

IndiaCode

**6. लेबल के ब्यौरे**

| | |
|---|---|
| 1 | उपस्कर |
| 2 | प्रकार |
| 3 | मेक/विनिर्माता/आयातकर्ता |
| 4 | मॉडल नाम/संख्या |
| 5 | ट्रांसफार्मरों क्षमता केवीए |
| 6 | वोल्टेज |
| 7 | विनिर्माण/आयात का वर्ष |
| 8 | सितारा स्तर |
| 9 | 50 % भारण पर कुल हानियां.....वाट |
| 10 | 100 % भारण पर कुल हानियां.....वाट |

**7.संदाय के ब्यौरे यदि अग्रिम में संदाय करना प्रस्तावित है (वैकल्पिक)**

| लेबलों की संख्या | प्रति इकाई लेबल लगाने की फीस | कुल रकम/संदाय के ब्यौरे |
|---|---|---|
| | | रकम :<br>क्रॉस किए गए बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे<br>तारीख : |

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुद्रा

IndiaCode

प्ररुप 2

(विनियम 7 देखिए)

अनुज्ञा/अनुज्ञा का नवीकरण

सं.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरों (वितरण ट्रांसफर्मारों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम,2009 के विनियम 7 के उपबंधों कें अनुसरण में, ब्यूरों इस उपाबद्ध में दिए गए अनुमोदन के ब्यौरों के अनुसार लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात करता है ।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है--

(क) वितरण ट्रांसफर्मारों के लिए के लेबल पर दर्शित सितारा स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित वितरण ट्रांसफर्मारों के लिए ऊर्जा खपत मानक के रूप होगा ;

(ख) वितरण ट्रांसफर्मारों के केवल ऐसे मॉडलों पर लेबल लगाया जाएगा जिसमें लिए अनुज्ञा की मंजूरी की गई है ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की लागत पर वितरण ट्रांसफर्मारों पर लेबल की मुद्रित किया जाएगा और लगाया जाएगा ।

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि वितरण ट्रांसफर्मारों के लेबल पर सितार स्तर को हर समय अनुरक्षित किया जाएगा ;

(ङ) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रति लेबल एक हजार रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा ;

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरे और उद्भूत देय लेबल फीस का विवरण ब्यूरों को प्रस्तुत करेगा और वही ब्यौरे ब्यूरो को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी वितरण ट्रांसफर्मारों के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा जब ब्यूरो चाहे, जिसके लिए अनुज्ञा को मंजूरी दी गई हैं ।

3. यह अनुज्ञा.....से.....तक विधिमान्य होगी और इसे और यथाविहित रूप में नवीकृत किया जा सकेगा । आप ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अनुज्ञा की विधिमान्य अवधि के दौरान बाजार से वितरण ट्रांसफर्मारों को वापस नहीं लेंगे ।

4. उपस्कर के लिए एकल लेबल श्रंखला.....है और इसे लेबल पर अनुमोदित डिजाइन के अनुसार प्रकट होना चाहिए ।

5. जहां पुनर्विलोकन पर सितारा स्तर योजना को ब्यूरो द्वारा संशोधित किया जाता है और वितरण ट्रांसफर्मारों का सितारा स्तर संशोधित हो जाता है, वहां आवेदक नयी अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।

6. तारीख.....को हस्ताक्षरित किया गया और मुहर बंद किया गया ।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

(प्ररुप 2 का पैरा 1 देखिए)

अनुमोदन के ब्यौरे

**1. उपस्कर के ब्यौरे**

| | |
|---|---|
| 1 | उपस्कर/प्रकार |
| 2 | मेक/विनिर्माता/आयातकर्ता |
| 3 | मॉडल नाम/संख्या |
| 4 | ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए |
| 5 | वोल्टेज |
| 6 | विनिर्माण का वर्ष |
| 7 | 50 % भारण पर कुल हानियां.....वाट |
| 8 | 100 % भारण पर कुल हानियां.....वाट |

| क्रम सं0 | मॉडल का नाम और संख्या | मापा गया मूल्य | | | | रेटेड मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भार हानि रहित (वाट) | भार हानि (वाट) | कुल हानियां | | कुल हानियां | | सितारा रेटिंग |
| | | | | 50 % भारण | 100 % भारण | 50 % भारण | 100 % भारण | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**2. लेबल के ब्यौरे**

| | |
|---|---|
| 1 | उपस्कर |
| 2 | प्रकार |
| 3 | मेक/विनिर्माता/आयातकर्ता |
| 4 | मॉडल नाम/संख्या |
| 5 | ट्रांसफार्मरों क्षमता केवीए |
| 6 | वोल्टेज |
| 7 | विनिर्माण/आयात का वर्ष |
| 8 | स्टार स्तर |
| 9 | 50 % भारण पर कुल हानियां.....वाट |
| 10 | 100 % भारण पर कुल हानियां.....वाट |
| 11 | यूनीक लेबल श्रंखला कोड |

3. वितरण ट्रांसफार्मर पर लगाए जाने वाले मुद्रित लेबल का अनुमोदित नमूना




पत्र में यूनिक लेबल श्रंखला कोड दिया गया है जिसे वितरण ट्रांसफार्मरो पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है ।

4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंर्तवस्तु तथा ब्यूरो लोगों की रंग स्कीम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरो के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 की अनुसूची के यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उसकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुद्रा

प्ररुप 3

[ विनियम 7(2) देखिए]

अनुज्ञा-पत्र धारियों का रजिस्टर

| क्रम सं0 | आवेदन पत्र संख्यां और अनुज्ञा-पत्र की तारीख | अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता पिन कोड राज्य, फोन नं0 फैक्स नं0, ई-मेल, वेबसाईट) | उपस्कर के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है । | घोषित सितारा स्तर या दक्षता स्तर | बीईई अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल श्रंखला | वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| लेबल प्रतिभूति की सभी रकम | क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) इलेक्ट्रानिक संव्यवहार (ब्यौरे) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस : तारीख : | आवेदन फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौरा/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरे : तारीख : |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |

| प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबल की संख्या | देय लेबल फीस की रकम | लेबल फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौरे/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरा) ; तारीख : ) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 |

## BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

**No. 2/11(5)/03-BEE-3.**— Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Amendment Regulations 2009, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-3, dated the 5th November,2009 in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th November 2009, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 ( 52 of 2001 ), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty- five days from the date of publication in the official gazette;

**And** whereas Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th November, 2009;

**And** whereas no objection or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

**Now**, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 of the said Energy Conservation Act, the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa)" Form" means a form appended to these regulations;";

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) permittee" "means a person to whom permission has been granted under regulation 7;";

3 In the principal regulations, after regulation 5, the following regulations shall be inserted, namely:-

"6. Permission for display of label.- (1) No label shall be affixed on a distribution transformer without obtaining the permission of the Bureau.

(2) For the purpose of obtaining permission under sub-regulation (1), an application shall be made in Form-I or in electronic form;

Provided that separate application shall be made for each model of distribution transformer;

(3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by –

(a) an application fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;

(b) a label Security Fee of rupees one lakh payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;

(c) documents specified therein.

7. Grant of permission.-(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements are therein complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on distribution transformer in Form-II or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form-III and enter the name of permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period of three years and may be renewed for a further period of three years by the Bureau.

(4) An application for renewal of permission shall be made at least three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment.

(5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. - Every permittee shall comply with the following terms and conditions, namely:-

(a) The star level displayed on the label of the distribution transformer shall conform to energy consumption standards for distribution transformer notified under clause (a) of section 14 of the Act;

(b) the label shall be affixed only on such model of distribution transformer for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the distribution transformer at the cost of the permittee;

(d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of distribution transformer shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;

(g) the permittee shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify.

9. Label Fee. – (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees one hundred on each label affixed on the distribution transformer.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. from the Label Security Fee paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6.

10. Refund of Label Security Fee: Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the Label Security Fee on ceasing to manufacture distribution transformer.

11. Verification by the Bureau - (1) The Bureau may, either *suo motu*, or on the complaint received by it, carry out verification to ensure that the distribution transformer conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by testing the distribution transformer in a laboratory, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by the Bureau.

(3) Where samples of distribution transformer used for testing fails the test, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of distribution transformer used in the first test, at the cost of the permittee.

(4) Where the second test also fails, the Bureau shall direct that the permittee shall, within a period of two months,-

(a) correct the star level displayed on the label of the distribution transformer or remove the defects and deficiencies found during testing;

(b) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(c) change the particulars displayed on advertising material.

(5) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau shall –

(a) withdraw the permission ;

(b) notify the consumers in such manner as it deems fit;

(c) initiate adjudication proceedings against such permittee under section 27 of the Act.

12. Cancellation of Permission - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7 if the permittee –

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9.

AJAY MATHUR, Director-General
[ADVT III/4/185/2009-Exty.]

**FORM 1**

**[See regulation 6]**

Application for permission to affix label on distribution transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Distribution Transformers) Regulations, 2009

To,
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR – 1, R.K.PURAM
NEW DELHI-110 066
INDIA.

I/ We are the manufacturers/importers of distribution transformer carrying on business at _____ (full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on distribution transformers as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency ( Particulars and Manner of their display on the Label of Distribution Transformers) Regulations, 2009.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured/imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of Information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for test products, labels and payment is given in Annexure . A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

a) Applicant: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc, and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above as soon as it takes place.

4. Conformation to Quality Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the Notification on _____(title of the Notification) for the _____ (name of the equipment). A copy of the License/certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have testing arrangements at _____ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.
Lab details:

a) Tests details: (Test procedures/name/number)
b) Accreditation status:
c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

| Year | Production | Sales | MRP of the equipment (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Last year from _____ to _____<br><br>Current year from _____ to_____ (estimate) | | | |

6. a) An application fee of rupees one thousand _____ has been paid by D.D.No.....dated ...../electrionic mode.

(b) A label Security Fee of rupees one lakh _____has been paid by D.D.No. .....dated ;/electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labelling fee of rupees one hundred per label.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

8 I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this .....

Day of ..... (Year)
Signature .....
Name .....
Designation .....
For and on behalf of .....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

Annexure
[See Para 3 of Form 1]
Details of information

**1. Details of the Equipment**

| | |
|---|---|
| 1 | Equipment/ Type |
| 2 | Make/Manufacturer/Importer |
| 3 | Model name/ Number |
| 4 | Transformer Capacity kVA |
| 5 | Voltage |
| 6 | Year of manufacturing/importing |
| 7 | ISI certificate details<br>(Attach copy of the Certificate) |
| 8 | Quality System certificate details<br>(Attach copy of the Certificate) |
| 9 | Total losses at 50% loading _____ watts |
| 10 | Total losses at 100%_____watts |

| **Sl. No.** | **Model Name / No.** | **Measured Values** | | | | **Rated Values** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No Load Loss (watts) | Load Loss (watt) | Total Losses | | Total Losses | | Star Rating |
| | | | | 50% loading | 100% loading | 50% loading | 100% loading | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**2. Details of the Company**

| **Name of the Company:** | |
|---|---|
| Address | |
| Pin Code | |
| State | |
| Phone No. | |
| Fax No. | |
| E-Mail | |
| Web site | |

**3. Details of the Manufacturing Facility**

| | |
|---|---|
| Address | |
| Pin Code | |
| State | |
| Phone No. | |
| Fax No. | |
| E-Mail | |
| Web site | |
| Any other details | |

**4. Certification for Test details**

| | |
|---|---|
| Name of the Test standard, No. and Year | |
| Name of the test Laboratory | |
| Accreditation status<br>(Attach copy of the accreditation certificate) | |
| Address | |
| Pin Code | |
| State | |
| Phone No. | |
| Fax No. | |
| E-Mail | |
| Web site | |

**5. Product Details**

| | |
|---|---|
| Date of commencement | |
| Number of labels applied for BEE<br>for the first year –<br>for the second year –<br>for the third year - | |
| Product Serial No. | From _____ To _____ |
| Test report | |
| Sample Label | |

**6. Label Details**

| | |
|---|---|
| 1 | Equipment |
| 2 | Type |

IndiaCode

| | |
|---|---|
| 3 | Make/Manufacturer/Importer |
| 4 | Model name/ Number |
| 5 | Transformer Capacity kVA |
| 6 | Voltage |
| 7 | Year of manufacturing/importing |
| 8 | Star Level |
| 9 | Total losses at 50% loading _____ watts |
| 10 | Total losses at 100%_____watts |

**7. Payment details, if Proposed to pay in advance (Optional).**

| No. Of Labels | Labeling fee per unit | Total Amount /Details of Payment |
|---|---|---|
| | | Amount:<br>Crossed demand draft details:<br>Date: |

Date

Signature .....

Name .....

Designation .....

For and on behalf of.....

.....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM
.....

IndiaCode

FORM II

[See Regulation 7]

Permission / Renewal of Permission

No.

Bureau of Energy Efficiency

New Delhi, Dated

To

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009, the BUREAU hereby permits you to affix Label as per details of approvals set out in the Annexure.

2. This permission is subject to-

(a) the star level displayed on the label of the distribution transformer shall conform to energy consumption standards for distribution transformer notified under clause (a) of section 14 of the Act;

(b) the label shall be affixed only on such model of distribution transformer for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the distribution transformer at the cost of the permittee;

(d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of distribution transformer shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee of rupees one hundred per label;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system.

(g) the permittee shall make available such other details of distribution transformer as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid from .....to-..... and may be renewed as prescribed. You shall not withdraw the distribution transformer from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code for the equipment is ....., and should appear on the label as per the approved design.

5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau and the star level of the distribution transformer stand modified, you shall seek the permission afresh.

6. Signed, Sealed and Dated this ..... Day of month.....year.

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure
[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

**1. Details of the Equipment**

| | |
|---|---|
| 1 | Equipment/ Type |
| 2 | Make /Manufacturer/ Importer |
| 3 | Model name/ Number |
| 4 | Transformer Capacity kVA |
| 5 | Voltage |
| 6 | Year of manufacturing |
| 9 | Total losses at 50% loading _____ watts |
| 10 | Total losses at 100%_____watts |

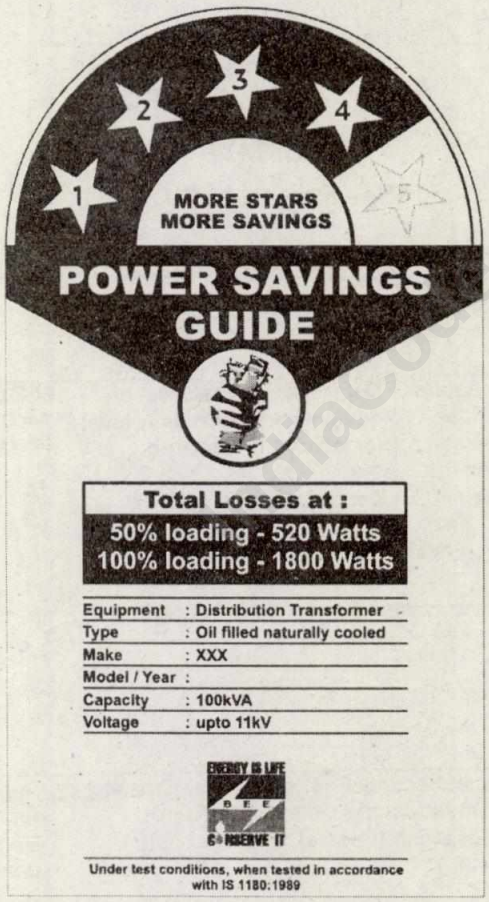
| **Sl. No.** | **Model Name / No.** | **Measured Values** | | | | **Rated Values** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No Load Loss (watts) | Load Loss (watt) | Total Losses | | Total Losses | | Star Rating |
| | | | | 50% loading | 100% loading | 50% loading | 100% loading | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**2. Label Details**

| | |
|---|---|
| 1 | Equipment |
| 2 | Type |
| 3 | Make/Manufacturer/Importer |
| 4 | Model name/ Number |
| 5 | Transformer Capacity kVA |
| 6 | Voltage |
| 7 | Year of manufacturing/importing |
| 8 | Star Level |

| | |
|---|---|
| 9 | Total losses at 50% loading _____ watts |
| 10 | Total losses at 100%_____watts |
| 11 | Unique label series code |

**3.Approved Specimen of printed label to be affixed on distribution transformer.**




The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the distribution transformer.

4. The label design, size , colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureaus' logo shall be as specified in the Schedule to the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009

Date

Signature .....
Name .....

Designation .....
For and on behalf of .....

.....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

FORM III

[See Regulation 7 (2)]

Register of Permittees

| Sl.No. | Application No. and Date of Permission | Name and details of the permittee (Contact Person, Address .Pin Code, State, Phone No. ,Fax No., E-Mail, Web site) | Details of equipment for which the permission has been granted | Star level or Efficiency level declared | BEE permission number and unique label series. | Period for which the permission has been granted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Amount of label security fee | Label Security Fee received by Crossed Demand draft ( Details)/ Electronic transaction (Details) : Date: ) | Application Fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's: Date: ) |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |

| Number of labels affixed at the end of the each financial year | Amount of labelling fee due | Labelling fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's : Date: ) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 |

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.